न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :– 47 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बाबूलाल पुत्र श्री जेताराम 2. मेकाराम पुत्र श्री जेताराम, जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम खेजडली कला, विश्नोईयों की ढाणी, तहसील लूणी. जिला जोधपुर		1. भीखाराम पुत्र श्री मिश्रीलाल उर्फ मीराराम, 2. पाबूराम पुत्र श्री मिश्रीलाल उर्फ मीराराम, 3. जोराराम पुत्र श्री मिश्रीलाल उर्फ मीराराम, 4. केली देवी पुत्री श्री मिश्रीलाल उर्फ मीराराम 5. मीरा देवी पुत्री श्री मिश्रीलाल उर्जा मीराराम, 6. कवरी पत्नी श्री मिश्रीलाल उर्फ मीराराम, 7. पप्पुराम पुत्र श्री भबूतराम, 8. राजूराम पुत्र श्री भबूतराम, 9. विकास पुत्र श्री भबूतराम. 10. निरमा पुत्री श्री भबूतराम, 11. समदु देवी पत्नी श्री भबूतराम, 12. रूगाराम पुत्र श्री सुरजाराम, के कायम मुकाम 12/1. सोनाराम पुत्र रूघाराम 12/2 भागीरथ पुत्र श्री रूघाराम 12/3 हरीराम पुत्र श्री रूघाराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम खेजड़ली कलां, तहसील व जिला जोधपुर 12/4 बालुदेवी पुत्री श्री रूघाराम पत्नि श्री जीयाराम निवासी रावर की ढाणी तहसील रावर, जिला जोधपुर 12/5 बाबुडी देवी पुत्री श्री रूघाराम पत्नि श्री रामलाल 12/6 समदू देवी पुत्री श्री रूघाराम पत्नि श्री ओमाराम निवासी डोली तहसील कल्याणपुर 12/7 शांति देवी पुत्री रूघाराम पत्नि श्रश्रीी बिरमरराम जी निवासी हिंगोली तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 12/8 बरजु देवी पुत्री रूघाराम पत्नि हरीराम जी, निवासी गुढ़ा विश्नोईयान तहसील व जिला जोधपु 13. हडमानराम पुत्र श्री कानाराम 14. हरिराम पुत्र श्री कानाराम 15. मांगीलाल पुत्र श्री कानाराम 16. घेवरराम पुत्र श्री गोपाराम 17. बुधाराम पुत्र श्री गोपाराम 18. देवाराम पुत्र श्री गोपाराम सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम खेजड़ली कल्ला विश्नोईयों की ढाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर 19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. भादू एंव भागीरथ विशनोई उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्सा 1 से 11 की ओर से अधिवक्ता एस.एन. राजपुरोहित उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 13 से 18 की ओर से अधिवक्ता लाधूराम पूनिया उपस्थित।

दिनांक :– 02.06.25

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सारांश इस प्रकार है कि ग्राम खेजडली कलां, पटवार हल्का खेजडली कला तहसील लूणी, की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 10 बीधा आई हुई है, जो कि प्रार्थीगण व अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है. जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय डाणी भी बनी हुई है तथा प्रार्थीगण की भूमि के बतरफ पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण की इसी ग्राम के खसरा नम्बर 41, 41/1. 36 व 35 की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 32 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 41 व 41/1 की मांठ से होते हुए खसरा नम्बर 36 के खातेदार के वारिसों के मध्य मौखिक पारिवारिक बंटवाडा अनुसार स्थित मांठ व खसरा नम्बर 35 के खातेदारों के मध्य मौखिक पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार स्थित मांठ के दोनो तरफ होता खसरा संख्या 32 में कदीमी रास्ता चला आ रहा है जो रास्ते के रूप में गत कई वर्षो–पीढ़ियों चला आ रहा है। खसरा नम्बर 32 की भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी सख्या 1 से 18 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41, 41/1, 36 व 35 के मांठ के सहारे ए.बी.सी.डी. मार्क स्थित रास्ता से होकर कई पीढियों से आते–जाते है प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में काश्त कार्य करने हेतु का यही एक मात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसमें किसी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। फिर भी अप्रार्थीगण ने बिना किसी कारण के भूमि खसरा नम्बर 41, 41/1, 36 व 35 के ए बी सी डी भाग पर धोरा लगाकर उस पर कंटीली बबूल की झाड़िया डालकर वंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 32 में काश्त कार्य करने से अवरूद्ध हो जायेंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी। वइस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खसरा नंबर 41, 41/1, 36 व 35 में स्थित ए बी सी डी मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किया जाकर तहसीलदार लूणी मौका फर्द/रिपोर्ट हेतू तहरीर जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 की ओर से अधिवक्ता एस. एन. राजपुरोहित ने अपना वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थीगण संख्या 13 सें 18 की और से अधिवक्ता लाधूराम पुनिया ने अपना वकालतनामा मय जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी उतरदाता के खेत ख०न० 41 व 41/1 से रास्ता घोषित करवाने का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने के योय है क्योकि प्रार्थीगण के लिये ख०न० 13, 14 की दक्षिणी माठ से होकर ख०न० 15 मे स्थित स्कूल के पास से होकर ख0न0 34 में प्रवेश करते हुए ख0न0 32 के लिये रास्ता मौजूद है जहा से प्रार्थीगण शुरू से आ जा रहे है। अप्रार्थी उतरदाता के खेत से रास्ते का नामांतकरण दर्ज करने, नक्शे मे तरमीम करने की इस्तदुआ भी प्रार्थीगण के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने के कारण अस्वीकार किये जाने के योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक भू.अ./2019/2138 दिनांक 12.07.2019 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार लूणी द्वारा नियमानुसार पुनः मौका की वस्तु स्थिति बाबत रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक/भू.अ./2022/1009 दिनांक 15.04.2025 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश हुई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 32 में आने-जाने हेतु सरवार सांगव-जोधपुर रोड से सुविधा की दृष्टि से रास्ता प्रस्तावित किया जाकर खेत खसरा संख्या 39 में नजरी नक्शे के भाग A से B तक प्रस्तावित रास्ता सबसे कम लंबा, निकटतम एवं लघुतम रास्ता है जबकि बिन्दु संख्या B से C, C से D, D से E, E से F, तक नजरी नक्शा में दर्शाया अनुसार समस्त खसरों के खातेदारों द्वारा रास्ता हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया हुआ है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

दोनो पक्षकारानों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चुंकि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि में काश्त कार्य करने एवं आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। तहसीलदार लूणी द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट एंव मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता ही सबसे लघुतम एंव निकटतम होना बताया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 32 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 39 ग्राम खेजड़ली कलां तहसील लूणी की कृषि भूमि में से तहसीलदार लूणी के रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द दिनांक 17.01.2025 सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार A से B तक 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर 39 ग्राम खेजड़ली कलां में से मौका फर्द सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क A से B भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अमल दरामद व तरमीम करे। मौके पर रास्ता कायम कर खुलवाया जावें। उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिफल की राशि का तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थीगण को अवगत करवाए प्रार्थी उक्त राशि की चैक अथवा डी. डी. बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें। मौका फर्द दिनांक 17.01.2025 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जाए। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी